जिला कलक्ट्रेट, बरेली

जिला एक राज्य और जिला कलेक्टर (ज़िलाधिकारी) या जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट) उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन का प्रमुख है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का सदस्य है जिसे केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है। उनके पास विस्तृत शक्तियां और बहुविध जिम्मेदारियां हैं। कई तरह से वह कानून और अधिकार के मुख्य संरक्षक हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन चलाया जाता है।

बरेली कलेक्टर या डीएम बरेली डिवीजन के आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है जो भी आईएएस के सदस्य हैं।

अधिकारी	कार्यालय	संपर्क संख्या	ई-मेल
जिलाधिकारी	कक्ष संख्या 1, जिलाधिकारी कार्यालय, सिविल लाइन्स, बरेली	9454417524, 0581-2558764, 0581-2557147 फैक्स:0581-2557001	dmbar@nic.in
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	कक्ष संख्या 5, जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली	9454417197	
अपर जिलाधिकारी (नगर)	कक्ष संख्या 15, जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली	9454417198	
नगर मजिस्ट्रेट	कक्ष संख्या 17, जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली	9454417199	
अपर नगर मजिस्ट्रेट-1	जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली		
अपर नगर मजिस्ट्रेट-2	जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली		
अपर नगर मजिस्ट्रेट-3	जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली		
अपर नगर मजिस्ट्रेट-4	जिलाधिकारी कार्यालय, बरेली		

जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर जिले के कार्यकारी प्रमुख हैं, राजस्व प्रशासन, नागरिक प्रशासन, विकास, पंचायत, स्थानीय निकायों, आदि के क्षेत्र में कई जिम्मेदारियों के साथ। उनके कार्यालय के महत्व के कारण, जिला कलेक्टर को मापने की छड़ माना जाता है प्रशासन में दक्षता कार्यात्मक रूप से जिला प्रशासन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है जिनमें से प्रत्येक का जिला स्तर पर स्वयं का कार्यालय होता है। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन के कार्यकारी नेता हैं और जिले के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उनके कर्तव्यों के निर्वहन में तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं।

राजस्व कार्य

जिला कलेक्टर जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है। राजस्व मामलों में, वह मंडल के आयुक्त और राजस्व बोर्ड के माध्यम से सरकार के लिए जिम्मेदार है। वह भूमि राजस्व के बकाए के रूप में भू-राजस्व, अन्य प्रकार के सरकारी करों, शुल्क और सभी देय राशि के संग्रह के लिए ज़िम्मेदार है। वह भूमि के संबंध में अधिकारों के सटीक और अप-टू-डेट रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तहसील स्तर पर उप-विभागीय अधिकारियों (उपजिलाधिकारी) द्वारा राजस्व प्रशासन में कलेक्टर की सहायता की जाती है। कलेक्टर और एसडीओ दोनों, भूमि विवाद, उत्परिवर्तन, रखरखाव और नक्शे के सुधार जैसे भूमि के एकीकरण के विभिन्न भूमि से संबंधित मुद्दों से निपटते हैं। जिला कलेक्टर के रूप में, वह जिले में सबसे ज्यादा राजस्व न्यायिक प्राधिकरण हैं।

कानून व्यवस्था

जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में वह सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अधिवीक्षित करता है तथा पुलिस की कार्यवाही को नियंत्रित और निर्देशित करता है| मजिस्ट्रेट के रूप में इनके पास प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेटियल शक्तियां होती हैं| जिलाधिकारी कानून व्यवस्था का प्रभारी होता है जो कि सभ्य जीवन का आधार है| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहयोग से वह जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखता है| विभिन्न अधिनियमों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दूरदर्शी प्रयोग से वह जनता में शांति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करता है|

जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, वह जिले में सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स की निगरानी करता है और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देश देता है। मैजिस्ट्रेट की तरफ, उसके पास प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटिक शक्तियां हैं। जिला कलेक्टर कानून और व्यवस्था का प्रभार है जो सभ्य जीवन का आधार है। एसएसपी की सहायता से, वह जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। विभिन्न विधियों के तहत प्रदान की जाने वाली शक्तियों के विवेकपूर्ण आवेदन के साथ, वह जिले में सार्वजनिक शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई करता है। उसके पास अच्छे व्यवहार और शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए दुर्व्यवहारियों को बाध्य करने की शक्तियां हैं, अपराधी प्रक्रिया संहिता के तहत निवारक गिरफ्तारी करना, गैरकानूनी विधानसभा पर प्रतिबंध लगा देना या कर्फ्यू लागू करना जो कि घोषित क्षेत्रों में मुक्त आंदोलन को प्रतिबंधित करता है, सार्वजनिक जीवन को हटाए जाने का जोखिम, जिला सीमाओं से कठोर अपराधियों के प्रयोग के लिए स्थानीय पुलिस को वास्तविक ठिकाने, हथियार लाइसेंस जारी करने / निलंबित करने / रद्द करने, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निवारक गिरफ्तारी का आदेश, यदि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है, पैरोल देना अंडर-ट्रायल / अपराधी अपराधियों आदि शामिल हैं। जिलाधिकारी (डीएम) जेल प्रशासन के प्रमुख और जिले में भी है।

विकास और अन्य कार्य

चूंकि वह नागरिक प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिले के सभी विभाग, जो अन्यथा अपने स्वयं के अधिकारियों के पास हैं, उन्हें मार्गदर्शन और समन्वय के लिए देखें। वह ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में, समय-समय पर जिले में आयोजित सभी चुनावों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आचरण के लिए वह जिम्मेदार हैं। लोकसभा क्षेत्र / उसके जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, वह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। वह दस साल की जनगणना के दौरान सक्रिय सहायता प्रदान करती है वह दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित और नियंत्रित करती है, आदि। वह अपने अधिकार क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ संपर्क रखती है और सैन्य उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग के लिए सक्षम प्राधिकरण है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जो किसी भी सरकारी विभाग, राज्य या केंद्र के क्षेत्र में विशेष रूप से नहीं आते हैं, वह एक सामान्य प्रशासक के रूप में सार्वजनिक हित में मामला संज्ञान लेना आवश्यक है और उसे इसके तर्कसंगत निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। कुछ सरकारी विभाग की मदद करना या अपने कार्यालय में मामले को संसाधित करना। संक्षेप में, ज़िन्दगी में कोई महत्व नहीं है, जिसके साथ वह संबद्ध नहीं है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से।

कलेक्ट्रेट

कलेक्ट्रेट जिला प्रशासन की सीट है और डी.एम. का कार्यालय है। इसमें कार्यालय अधीक्षक, नजारत, राजस्व सहायक, न्यायिक सहायक, वाद लिपिक, शस्त्र लिपिक, माला खाना, रिकार्ड रूम कीपर, एकीकरण अधिकारी जैसे उपर्युक्त कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम, कोर्ट और विभिन्न विभागों के कार्यालय आदि हैं।
पता: जिलाधिकारी, सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश 243001

कक्ष सं. कार्यालय

1. जिलाधाकारी कार्यालय

2. जिलाधिकारी न्यायालय

3. नजारत

4. एडीएम ई चैंबर एंड कोर्ट

5. माल खाना

6. संयुक्त कार्यालय
   - आर ए
   - जी सी
   - बिल क्लर्क

7.
   - एक्साइज क्लर्क
   - न्यायिक क्लर्क
   - स्थानीय निकाय
   - अंग्रेजी कक्ष रिकॉर्ड

8.
   - आर्म्स क्लर्क
   - फार्म कीपर
   - वाद क्लर्क
   - शिकायत प्रकोष्ठ

9. ई-डिस्ट्रिक्ट लैब

10.
   - राजस्व अभिलेखागार
   - न्यायिक अभिलेखागार

10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी

11. अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय

12. अपर जिलाधिकारी (नगर) न्यायालय

13. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय

14. नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय

अपर जिला मजिस्ट्रेट

अपर जिला मजिस्ट्रेट का पद बनाया गया है, जो कि उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में जिला अधिकारी की सहायता के लिए बनाया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट को नियमों के तहत जिला अधिकारी की ही शक्तियों का आनंद मिलता है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एडीएम दूसरा शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी का नेतृत्व है वह डीएम के पर्यवेक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रबंधकीय स्तर के कार्य करता है। बरेली जिले में एडीएम (एग्जिक्यूटिव), एडीएम (वित्त और राजस्व) और एडीएम सिटी में तीन एडीएम हैं।

सिटी मजिस्ट्रेट और अपर सिटी मजिस्ट्रेट (एसीएम)
एक नगर मजिस्ट्रेट है जिसे नगर के पूरे इलाके में मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित है। उन्होंने शस्त्र और लाइसेंस जैसे अन्य कानून और व्यवस्था से संबंधित विषयों से संबंधित शक्तियां भी रखी हैं। वह विभिन्न प्रोटोकॉल और वीआईपी कर्तव्यों का प्रबंधन भी करता है।

उसे चार एसीएम, एसीएम I, एसीएम II, एसीएम III और एसीएम IV, जो शहर के क्षेत्र के विभिन्न श्रेशों पर अधिकार क्षेत्र दिया जाता है और वे अपने पुलिस समकक्षों के साथ मिलकर काम करते हैं, अर्थात डीएसपी रैंकों के सर्किल ऑफिसर (सीओ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वे न्यायालय पकड़ते हैं और सीआरपीसी के विभिन्न अनुभागों के तहत अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र के लिए मामलों का निर्णय लेते हैं।